भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

तारांकित प्रश्न सं. 400

08 जनवरी, 2019 को उत्तरार्थ

विषय : किसानों को बाजारों से जोड़ना

***400. श्री आधलराव पाटील शिवाजीरावः**

श्री श्रीरंग आप्पा बारणेः

क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या किसानों का विकास एवं उत्थान सरकार की पहली प्राथमिकता है, और यदि हां, तो क्या सरकार खाद्यान्नों के व्यापार में किसानों की सहायता के उद्देश्य से उन्हें बाजारों से जोड़ने की ठोस योजना पर कार्य कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या कृषि उत्पाद का विपणन देशभर में फैली राज्य सरकार द्वारा निर्दिष्ट मंडियों के माध्यम से किया जाता है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या फारवर्ड ट्रेडिंग भावी मूल्य-निर्धारण का एक सूचकांक है तथा इसके फलस्वरूप क्रेता और विक्रेता अपने वायदा व्यापार की योजना बना सकते हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इससे किसानों को अपनी फसल रोपण की योजना बनाने एवं बिचौलियों की भूमिका समाप्त करने में कितनी सहायता मिलेगी;

(घ) क्या सरकार एपीएमसी मंडियों का लाभ ले रही है तथा साथ ही निजी क्षेत्र द्वारा मंडियों की स्थापना करने में सहायता हेतु विपणन कानूनों में संशोधन कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या सरकार ने ई-प्लेफॉर्म (ई-एनएएम) के माध्यम से खुदरा बिक्री बाजार की सफलता का कोई आकलन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसकी मौजूदा स्थिति क्या है?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री राधा मोहन सिंह)

(क) से (ड.): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

"किसानों को बाजारों से जोड़ना" के संबंध में दिनांक 08 जनवरी, 2019 को लोक सभा में पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या 400 के भाग (क) से (ड.) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क) एवं (ख) : जी हां । किसानों का विकास एवं उत्थान सरकार की पहली प्राथमिकता है। सरकार निरंतर कार्य कर रही है और उसने खाद्यान्नों के व्यापार में किसानों की सहायता के उद्देश्य से उन्हें मण्डियों के साथ जोड़ने के लिए कई ठोस कदम उठाए हैं। कृषि विपणन राज्य का विषय है और संबंधित राज्य कृषि उत्पाद मण्डी समिति (एपीएमसी) अधिनियम के उपबंधों के अंतर्गत 6630 विनियमित थोक मण्डियों के नेटवर्क द्वारा थोक कृषि विपणन किया जाता है।

किसानों को बेहतर विपणन सुविधाएं प्रदान करने के लिए सरकार ने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा अपनाने के लिए अप्रैल, 2017 में एक नया मॉडल "कृषि उत्पाद एवं पशुधन विपणन (संवर्धन एवं सरलीकरण) अधिनियम, 2017" जारी किया है। इसमें दिए गए प्रावधानों में किसानों को प्रतिस्पर्धा एवं लाभकारी मूल्यों पर उनके उत्पाद के विपणन के लिए एपीएमसी से अलग एक वैकल्पिक विपणन चैनल प्रदान किया है।

दुर्लभ संसाधनों के इष्टतम उपयोग और मूल्य एवं विपणन में अनिश्चितता को कम करने के लिए, सरकार ने राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) द्वारा इसे अपनाने के लिए मई, 2018 में एक प्रगतिशील एवं सरलीकरण मॉडल अधिनियम "-राज्य/संघ राज्य क्षेत्र कृषि उत्पाद एवं पशुधन संविदा कृषि एवं सेवाएं (संवर्धन एवं सरलीकरण) अधिनियम, 2018" तैयार किया है और जारी किया है। उक्त मॉडल संविदा कृषि अधिनियम कृषि उत्पाद एवं पशुधन के लिए सेवा संविदा सहित उत्पादन पूर्व से लेकर फसल कटाई के बाद विपणन तक समग्र मूल्य एवं आपूर्ति श्रृंखला को कवर करता है।

सरकार ने प्रतिस्पर्धात्मक ऑनलाइन बोली प्रणाली के माध्यम से किसानों को उनकी उपज के लाभकारी मूल्य दिलाने के लिए पारदर्शी मूल्य का पता लगाने का और अवसर प्रदान करने के लिए एक ऑनलाईन वर्चुअल व्यापार प्लेटफार्म राष्ट्रीय कृषि मंडी (ई-नाम) योजना का कार्यान्वयन किया है। अभी तक 16 राज्यों और 2 संघ राज्य क्षेत्रों की 585 थोक विनियमित मंडियों को ई-नाम प्लेटफार्म से जोड़ा गया है।

केन्द्रीय बजट घोषणा 2018-19 के अनुसार, सरकार ने एकीकरण के केन्द्र के रूप में कार्य करने और किसानों को उनकी मण्डी पहुंच में सुधार लाते समय उपभोक्ताओं और सामूहिक क्रेताओं को सीधी बिक्री करने हेतु फार्म गेट के पास सुविधा प्रदान करने के लिए मौजूदा 22,000 ग्रामीण हॉटों को ग्रामीण कृषि मण्डियों (ग्राम्स) में विकसित और अपग्रेड करने का निर्णय लिया है।

सरकार मण्डी अनुसंधान और सूचना नेटवर्क (एमआरआईएन) योजना का कार्यान्वयन कर रही है जिसमें एग्मार्गनेट पोर्टल से जुड़ी देश भर की 3355 थोक मण्डियां कवर हैं जहां पर कृषि

उपज मण्डी समिति (एपीएमसी) मण्डियां दैनिक आधार पर व्यापार किए गए कृषि जिंसों के मण्डी तक पहुंच और उनके मूल्य पर डाटा की रिपोर्ट दे रही हैं। किसानों के पास मण्डी मूल्य सूचना प्राप्त करने के लिए आसानी से एग्मार्गनेट पोर्टल तक स्वतंत्र पहुंच है।

किसानों को उनके उत्पाद के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए, भारत सरकार ने छत्रक योजना 'प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान' (पीएम-आशा) की शुरूआत की है। पीएम-आशा के अंतर्गत, कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग (डीएसीएण्डएफडब्ल्यू), कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार दलहनों, तिलहनों और कोपरा की खरीद के लिए मूल्य समर्थन योजना (पीएसएस) का कार्यान्वयन करता है। तिलहनों की खरीद के लिए, डीएसीएण्डएफडब्ल्यू मूल्य कमी भुगतान योजना (पीडीपीएस) का कार्यान्वयन भी करता है।

प्राथमिक रूप से कुछ फसलों की खरीद के लिए सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) अधिसूचित किया जाता है। किसानों की आय में बढ़ोतरी करने के लिए सरकार ने 2018-19 के लिए सभी रबी फसलों के लिए उत्पादन की लागत के कम से कम 150 प्रतिशत के स्तर पर एमएसपी में वृद्धि को मंजूरी दे दी है।

इसके अलावा, पीएम-आशा के तहत, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग (डीएफपीडी) द्वारा भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) के माध्यम से धान, गेहूं और मोटे अनाजों की एमएसपी पर खरीद की जाती है। इसके अतिरिक्त, भारतीय कपास निगम (सीसीआई) और भारतीय पटसन निगम (जेसीआई) के माध्यम से वस्त्र मंत्रालय द्वारा क्रमश: कपास और पटसन की खरीद की जाती है।

(ग) : मूल्य खोज और मूल्य जोखिम प्रबंधन फारवर्ड/भावी मण्डियों का प्रमुख उद्देश्य हैं। जबकि फारवर्ड मण्डियां अनुकूलित संविदा हैं जिसमें भावी तारीख को पूर्व निर्धारित मूल्य पर जिंसों की किसी विशेष गुणवत्ता/मात्रा की खरीद/बिक्री करने के लिए पार्टियों के बीच द्विपक्षीय मोल-भाव होता है। भावी मंडिया मानकीकृत हैं जिसमें भावी तारीख को पूर्ण निर्धारित मूल्य पर किसी विशेष जिंस के मानकीकृत मात्रा की खरीद/बिक्री के लिए विनिमय व्यापार के आधार पर संविदाएं की जाती हैं।

किसान और उत्पादक भावी मण्डियों से निकलने वाले मूल्य संकेतों के माध्यम से लाभ प्राप्त कर सकते हैं भले ही उन्होंने भावी मण्डियों में प्रत्यक्ष तौर पर भाग न लिया हो। एक किसान इस तरह की फसल का निर्धारण कर सकता है जिसे वह वैकल्पिक फसलों के भविष्य के मूल्य के रुझानों की अग्रिम जानकारी का लाभ उठाकर बुआई को वरीयता दे। किसान प्रचलित भावी मूल्य पर लगाई गई फसल की भावी संविदा भी साथ-साथ कर सकता है जिसके द्वारा उस लाक-इन मूल्य जिस पर वे भविष्य में किसी विशिष्ट समय में अंतर्निहित जिंस को बेच

सकते हैं। भावी संविदा में, किसान संबंधित राज्यों द्वारा आरोपित बाजार शुल्क के भुगतान के अध्यधीन, सीधे विनिमय प्लेटफॉर्म पर फसल भेज सकता है।

खाद्य, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण पर संसदीय स्थायी समिति के "फॉरवर्ड संविदा (विनियमन) संशोधन विधेयक, 2010" पर पंद्रहवीं रिपोर्ट के अनुसार, भावी मण्डियों से मौसमी मूल्य विविधताओं के आयाम में कमी आती है और किसान को यह महसूस कराने में कि फसल कटाई के समय बेहतर मूल्य क्या है या उनकी उपज की बिक्री को कुछ हद तक बेहतर तरीके से या आंशिक या पूर्ण रूप से स्थगित करने में मदद करते हैं जिससे बाजार में उपज के आने के साथ व्यापारी की मूल्य सेटिंग के एकाधिकार हेतु व्यापारी की क्षमता सामान्य हो जाती है।

(घ) : सरकार एपीएमसी मण्डियों की अवसंरचना और मानव संसाधन का विकास करने के लिए उनका उत्थान करने में तकनीकी समर्थन और सहायता प्रदान कर रही है जिससे किसानों को उनकी उपज के लिए प्रभावकारी और दक्षता पूर्ण मण्डी की सुविधा प्राप्त हो सके। एपीएमसी को उनके अवसंरचना को अपग्रेड करने और विभिन्न योजनाओं जैसे कि कृषि मण्डी अवसंचना (एएमआई), समेकित बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच) और राष्ट्रीय कृषि विकास योजना-कृषि और संबद्ध क्षेत्र के जीर्णोद्धार के लिए लाभकारी दृष्टिकोण (आरकेवीवाई-रफ्तार) आदि के माध्यम से उनके फारवर्ड और उनके बैकवर्ड संबंधों में सुधार लाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। भारत सरकार द्वारा राज्यों/संघ राज्यों को इसको अपनाए जाने के लिए कृषि उपज और पशुधन विपणन (संवर्धन और सरलीकरण) अधिनियम, 2017 प्रचालित किया गया जिसका आश्य निजी क्षेत्र द्वारा मण्डियों की स्थापना करने के चैनलों के साथ वैकल्पिक विपणन चैनलों को प्रोत्साहन प्रदान करना है।

(ड.) : सरकार ने ई-नाम प्लैफार्म के माध्यम से थोक मण्डी की सफलता का कोई विशेष मूल्यांकन नहीं किया है। तथापि, एक ऑनलाईन प्लेटफार्म होने के नाते ई-नाम कार्यनिष्पादन की मॉनिटरिंग करने के लिए मण्डी स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक अद्यतन प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) प्रदान करता है जिससे इस प्रणाली में सुधार लाने हेतु उपयुक्त सुधारात्मक उपाय करने में निरंतर सहायता मिलती है। इससे ई-नाम प्लेटफार्म पर किसानों की प्रतिभागिता के साथ-साथ व्यापार मात्रा में निरंतर और पर्याप्त वृद्धि हुई है।

****